मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

गच्चीबौली, हैदराबाद - ५०००३२

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

रोजगार अधिसूचना सं.54/2019
दिनांक: 28.05.2019

सूचना पुस्तिका
(शैक्षणिक पद)

आवेदन की अंतिम तिथि **: 08.07.2019**

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
HYDERABAD

अधिसूचित शैक्षणिक पदों के संबंध में सूचना पुस्तिका,
रोजगार अधिसूचना सं.54/2019 दिनांक 28.05.2019

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (मानू) एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अधिनियम, 1996 (1997 के संसद अधिनियम सं. 2) के माध्यम से अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार के साथ स्थापित किया गया है। उर्दू भाषा की उन्नति और विकास तथा उर्दू माध्यम से पारंपरिक शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। देश भर में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सैटलाइट कैम्पसों, शिक्षक शिक्षण महाविद्यालयों(सीटीई), पॉलिटेकनीक, आईटीआई, और क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का मुख्य कैम्पस गच्चिबौली, हैदराबाद में स्थित है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विभागों, केन्द्रों, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संकाय के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण महाविद्यालयों (सीटीई) और कडपा (आन्ध्र प्रदेश) एवं कटक (ओडिशा), आदि में स्थापित किए गए नए पॉलिटेकनीकों हेतु निम्नलिखित शैक्षिक और अन्य शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है :-

(1) शिक्षण एवं प्रशिक्षण संकाय, हैदराबाद और शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय (सीटीई)*

(एनसीटीई योग्यताओं के अनुसार)

क्र. सं.	पद का नाम	विशेषज्ञता	पदों की संख्या
01.	प्रोफेसर/प्रधानाचार्य	शिक्षण /भौतिकी / रसायन विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान / जीव विज्ञान / गणित के साथ अध्यापन के परिप्रेक्ष्य में।	06 (अनारक्षित-4, अनुसूचित जाति-1, अनुसूचित जनजाति-1)
02.	एसोसिएट प्रोफेसर	दर्शन या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान के साथ शिक्षण/गणित/भौतिकी/रसायन विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जीव विज्ञान/हिन्दी/सामाजिक विज्ञान-भूगोल/राजनीति विज्ञान के साथ अध्यापन के परिप्रेक्ष्य में।	09 (अनारक्षित -6, अनुसूचित जाति -1, अनुसूचित जनजाति -2)
03.	सहायक प्रोफेसर	दर्शन या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान के साथ शिक्षण/समाजशास्त्र/गणित/अंग्रेजी/ भौतिक विज्ञान-भौतिकी एवं रसायन विज्ञान/ जीव विज्ञान- वनस्पति विज्ञान तथा जीव विज्ञान के साथ अध्यापन के परिप्रेक्ष्य में।	05 (अनारक्षित -2, अनुसूचित जाति -2, अन्य पिछडा वर्ग-1)
04.	सहायक प्रोफेसर	शारीरिक शिक्षा	01 (अनारक्षित)
		कुल	**21**

*** आसनसोल, औरंगाबाद, भोपाल,बीदर,दरभंगा,संभल,नूह (हरियाणा) एवं श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में स्थित है।**

(2) विज्ञान संकाय, कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय तथा भाषा, भाषा विज्ञान एवं भारत अध्ययन संकाय, प्रौद्योगिकी संकाय और लखनऊ सैटलाइट कैम्पसों के अंतर्गत विभाग :

क्र.सं.	पद का नाम	विभाग	पदों की संख्या
01	प्रोफेसर	अंग्रेजी	01 (अनुसूचित जाति)
02	प्रोफेसर	अरबी	01 (अनुसूचित जनजाति)
03	प्रोफेसर	महिला शिक्षा	01 (अनुसूचित जाति)
04	प्रोफेसर	राजनीति विज्ञान	01 (अनुसूचित जाति)
05	प्रोफेसर	इतिहास	01 (अनारक्षित)
06	प्रोफेसर	रसायन विज्ञान	01 (अनारक्षित)
07	प्रोफेसर	वाणिज्य एवं व्यापार प्रबंधन (एमबीए/एम.कॉम/बी.कॉम पाठ्यक्रमों के लिए)	01 (अनारक्षित)
08	प्रोफेसर	कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी (बी.टेक/एम.टेक. पाठ्यक्रम के लिए)	02 (अनारक्षित)
09	एसोसिएट प्रोफेसर	जनसंचार एवं पत्रकारिता	01 (अनुसूचित जनजाति)
10	एसोसिएट प्रोफेसर	सामाजिक कार्य	01 (अनुसूचित जाति)
11	एसोसिएट प्रोफेसर	अंग्रेजी	02 (अनारक्षित -1, अनुसूचित जाति -1)
12	एसोसिएट प्रोफेसर	रसायन विज्ञान	02 (अनारक्षित -1, अनुसूचित जनजाति -1)
13	एसोसिएट प्रोफेसर	अर्थशास्त्र	01 (अनुसूचित जाति)
14	एसोसिएट प्रोफेसर	समाजशास्त्र	01 (अनुसूचित जाति)
15	एसोसिएट प्रोफेसर	वाणिज्य एवं व्यापार प्रबंधन (एमबीए/एम.कॉम/बी.कॉम पाठ्यक्रमों के लिए)	01 (अनारक्षित)
16	एसोसिएट प्रोफेसर	सूचना प्रौद्योगिकी (बी.टेक/एम.टेक/एमसीए पाठ्यक्रम के लिए)	01 (अनारक्षित)
17	एसोसिएट प्रोफेसर	गणित	01 (अनारक्षित)
18	सहायक प्रोफेसर	अंग्रेजी	01 (अनारक्षित)
19	सहायक प्रोफेसर	वाणिज्य एवं व्यापार प्रबंधन (एमबीए/एम.कॉम/बी.कॉम पाठ्यक्रमों के लिए)	01 (अनुसूचित जनजाति)
20	सहायक प्रोफेसर	इतिहास	01 (अनारक्षित)
21	सहायक प्रोफेसर	अर्थशास्त्र	02 (अनारक्षित -1, ईडब्ल्यूएस-1)
22	सहायक प्रोफेसर	समाजशास्त्र (धारणाधिकार रिक्ति)	01 (अनारक्षित)
23	सहायक प्रोफेसर	राजनीति विज्ञान	01 (अनुसूचित जाति)
24	सहायक प्रोफेसर	गणित	01 (अनारक्षित)
25	सहायक प्रोफेसर	इस्लाम अध्ययन	01 (अनारक्षित)
		कुल	**29**

(3) मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (मानू) कला एवं विज्ञान महाविद्यालय बड़गाम (जम्मू और कश्मीर) - सैटलाइट कैम्पस

क्र.सं.	पद का नाम	विभाग	पदों की संख्या
01	एसोसिएट प्रोफेसर	अंग्रेजी	01 (अनुसूचित जाति)
02	एसोसिएट प्रोफेसर	लोक प्रशासन	01(अनुसूचित जनजाति)
03	एसोसिएट प्रोफेसर	अर्थशास्त्र	01 (अनुसूचित जाति)
04	एसोसिएट प्रोफेसर	इतिहास	01 (अनुसूचित जाति)
05	एसोसिएट प्रोफेसर	उर्दू	01 (अनारक्षित)
06	एसोसिएट प्रोफेसर	अरबी	01 (अनारक्षित)
07	एसोसिएट प्रोफेसर	राजनीति विज्ञान	01 (अनारक्षित)
08	सहायक प्रोफेसर	इतिहास	01 (अनुसूचित जाति)
09	सहायक प्रोफेसर	कश्मीरी	01(अनुसूचित जनजाति)

(2) **पॉलिटेकनीक (हैदराबाद, बेंगलुरु, दरभंगा, कडपा तथा कटक में स्थित)**
(एआईसीटीई दिशा-निदेश के अनुसार)

क्र. सं.	पद का नाम	विशेषज्ञता	पदों की संख्या
01.	विभागाध्यक्ष	सिविल इंजीनियरिंग	03 (अनारक्षित -1, अनुसूचित जाति -2)
02.	विभागाध्यक्ष	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	02 (अनारक्षित)
03.	विभागाध्यक्ष	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग	02 (अनारक्षित)
04.	विभागाध्यक्ष	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग	01 (अनारक्षित)
05.	विभागाध्यक्ष	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग	02 (अनुसूचित जाति -1, पीडब्ल्यूडी-1)
06.	विभागाध्यक्ष	इलेक्ट्रानिक एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	01 (अनुसूचित जनजाति)
07.	विभागाध्यक्ष	अपैरल प्रौद्योगिकी	01 (अनारक्षित)
08.	प्रवक्ता (लेक्चरर) (स्तर - 9ए / 10)	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग	04 (अनारक्षित -2, अन्य पिछडा वर्ग -1, अनुसूचित जनजाति -1)
09.	प्रवक्ता (लेक्चरर) (स्तर - 9ए / 10)	सिविल इंजीनियरिंग	06 (अनारक्षित -1, अन्य पिछडा वर्ग -2, अनुसूचित जाति -3)
10.	प्रवक्ता (लेक्चरर) (स्तर - 9ए / 10)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	04 (अनारक्षित -1, अन्य पिछडा वर्ग -1, अनुसूचित जाति -1, अनुसूचित जनजाति -1)
11.	प्रवक्ता (लेक्चरर) (स्तर - 9ए / 10)	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग	02 (अनारक्षित -1, ईडब्ल्यूएस -1)
12.	प्रवक्ता (लेक्चरर) (स्तर - 9ए / 10)	अपैरल प्रौद्योगिकी	02 (अनारक्षित -1, अन्य पिछडा वर्ग -1)
13.	प्रवक्ता (लेक्चरर) (स्तर - 9ए / 10)	इलेक्ट्रानिक एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	01 (ईडब्ल्यूएस)
		कुल	**31**

नोट : उपरोक्त पदों के लिए पहली पोस्टिंग (तैनाती) नए पॉलिटेकनीक कडपा (आंध्र प्रदेश) और कटक (ओडिशा) में और मौजूदा दरभंगा और बेंगलुरु पॉलिटेक्निक में होगा।

(4) केन्द्रों/दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

क्रम.सं.	पद का नाम	केन्द्र/निदेशालय	पदों की संख्या
01.	प्रोफेसर	दूरस्थ शिक्षा निदेशालय	01(अनुसूचित जाति)
02.	प्रोफेसर	उर्दू माध्यम शिक्षको के लिए व्यवसायिक विकास केन्द्र	01 (अनारक्षित)
03.	एसोसिएट प्रोफेसर-शिक्षा(एनसीटीई योग्यता के अनुसार)	दूरस्थ शिक्षा निदेशालय	01 (अनारक्षित)
04.	एसोसिएट प्रोफेसर-इतिहास	दूरस्थ शिक्षा निदेशालय	01 (अनुसूचित जाति)
05.	एसोसिएट प्रोफेसर-वाणिज्य एवं व्यापार प्रबंधन	दूरस्थ शिक्षा निदेशालय	01 (अनारक्षित)

संक्षिप्ति : यू.आर -अनारक्षित ; एस.सी- अनुसूचित जाति ; एस.टी- अनुसूचित जनजाति ; ओबीसी- अन्य पिछडा वर्ग ; ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्ल्यूडी – दिव्यांगजन।

नोट : जिन अभ्यर्थियों ने हमारे विज्ञापन संख्या 50/2018 दिनांक 16.07.2018 के अंतर्गत पहले आवेदन किया था, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता है।

[1] तथापि, उन्हें पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी और अभ्यर्थी को अपने पिछले भुगतान शुल्क (राशि**,** डीडी नंबर**,** तिथि एवं बैंक विवरण) का विवरण उपयुक्त कॉलम में देना होगा।

दिव्यांगजन के लिए आरक्षण :

सहायक प्रोफेसर/प्रवक्ता (लेक्चरर) के 36 पदों में से, दो पद नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।

वेतनमान:

पद	वेतनमान
प्रोफेसर	1,44,200-2,18,200/- (शैक्षणिक स्तर 14)
एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष	1,31,400-2,17,100/- (शैक्षणिक स्तर 13ए)
सहायक प्रोफेसर (विभाग/सैटलाइट कैम्पस) एवं प्रवक्ता(लेक्चरर)-पॉलिटेकनीक (एम.टेक/एम.ई योग्यताओं के साथ)	57,700-1,82,400 (शैक्षणिक स्तर-10)
प्रवक्ता(लेक्चरर)-पॉलिटेकनीक(बी.टेक/बी.ई योग्यताओं के साथ)	56,100-1,77,500/- (स्तर 9ए)

आवश्यक योग्यताओं, अनुभव, आदि का विवरण।

(1) शिक्षण एवं प्रशिक्षण संकाय, हैदराबाद और शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय (सीटीई)

प्रोफेसर - शिक्षण

(i) विशेषज्ञता के क्षेत्र की प्रासंगिक विधा में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ शिक्षण में स्नातकोत्तर डिग्री(एम.एड/एम.ए.शिक्षण) ।

(iii) प्रतिष्ठित विद्वान जिसे शिक्षण में पीएच.डी की उपाधि या विशेषज्ञता के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक विधा प्राप्त हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो तथा प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ-साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम दस(10) वर्षों का प्रकाशन अनुभव एवं परिशिष्ट-II, तालिका दो में दिए गए मानदंडों के अनुसार कुल 120 शोध प्राप्तांक अर्जित किए हो।

(iv) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर स्तर पर न्यूनतम दस(10) वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डॉक्टोरल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो।

(v) विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

विशेषज्ञता: शिक्षण/ भौतिकी/ रसायन विज्ञान / वनस्पति विज्ञान/ जीव विज्ञान / गणित के साथ अध्यापन के परिप्रेक्ष्य में ।

एसोसिएट प्रोफेसर-शिक्षण

(शिक्षण एवं प्रशिक्षण संकाय और दूरस्थ शिक्षा निदेशालय)

(i) विशेषज्ञता के क्षेत्र की प्रासंगिक विधा में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ शिक्षण में स्नातकोत्तर डिग्री(एम.एड/एम.ए.शिक्षण) ।

(iii) शिक्षण में पीएच.डी की उपाधि या विशेषज्ञता के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक विधा प्राप्त हो।

(iv) किसी शैक्षणिक/ अनुसंधान पद जो, किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/ उद्योग में सहायक प्रोफेसर के समतुल्य हो, प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित न्यूनतम आठ वर्ष का शिक्षण कार्य और/ अथवा अनुसंधान का अनुभव हो और पुस्तकों के रूप में और/ अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अनुसंधान/ नीतिगत पत्रों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान

---

[1] 31.05.2019 को संशोधित

आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम सात प्रकाशन किए हों और परिशिष्ट-II, तालिका-2 में दिए गए मानदेडों के अनुसार कम से कम पचहत्तर (75) कुल अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

(v) विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

विशेषज्ञता : दर्शन या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान के साथ शिक्षण / गणित/ भौतिकी/ रसायन विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/ जीव विज्ञान/ हिन्दी/ सामाजिक विज्ञान-भूगोल/ राजनीति विज्ञान के साथ अध्यापन के परिप्रेक्ष्य में ।

सहायक प्रोफेसर - शिक्षण

क. (i) विशेषज्ञता के क्षेत्र की प्रासंगिक विधा में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ शिक्षण में स्नातकोत्तर डिग्री(एम.एड/एम.ए.शिक्षण) ।

(iii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा(एनईटी) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल / पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों, एनईटी/ एसएलईटी /एसईटी से छूट दी जा सकती है जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो :

(iv) बशर्ते, कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/ उपविधियों/ विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएच.डी अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी :-

क) अभ्यर्थी को पीएच.डी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो ;

ख) पीएच.डी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

ग) पीएच.डी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हों जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

ड.) अभ्यर्थी नें यू.जी.सी / आईसीएसएसआर / सीएसआईआर अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों / विचार गोष्ठियों में अपने पीएच.डी कार्यों के धार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों।

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

अथवा

ख. (i) क्वैक्वेरेली सायमंड (क्यूएस) (ii) दि टाइम्स हॉयर एजूकेशन (टीएचई) अथवा (iii) शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यूयू) द्वारा संपूर्ण विश्व में विश्वविद्यालय रैंकिग में विश्व के शीर्षतम 500 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान (किसी भी समय) से पीएच.डी की उपाधि निम्नलिखित में से किसी एक से प्राप्त की गई हो।

नोट : यू.जी.सी. विनियम, 2018 में विश्वविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3क) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा।

ग. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

विशेषज्ञता : दर्शन या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान के साथ शिक्षण / समाजशास्त्र / गणित/ अंग्रेज़ी/ भौतिक विज्ञान - भौतिकी एवं रसायन शास्त्र / जैविक विज्ञान - वनस्पति एवं जीव विज्ञान के साथ अध्यापन के परिप्रेक्ष्य में ।

सहायक प्रोफेसर (शारीरिक शिक्षा)

(i) न्यूनतम 55% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा (एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.पी.एड/एम.पी.ई.,) में स्नातकोत्तर की डिग्री।

(ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा(एनईटी) उत्तीर्ण करनी होगी।

(iii) बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/ उपविधियों/ विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा पीएच.डी अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी :-

क) अभ्यर्थी को पीएच.डी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो ;

ख) पीएच.डी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो ;

ग) पीएच.डी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो ;

घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो ;

ड.) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी कार्यों के आधार पर सम्मेलन/ संगोष्ठियों में कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।

नोट : (क) से (ड.) में दी गई इन शर्तों पर खरा उतरने के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष(शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना होता है।

(iv) यू.जी.सी. विनियम 2018 के अनुसार आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो।

(v) विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

शारीरिक स्वस्थता जांच संबंधी मानदंड :

(क) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन सभी अभ्यर्थी जिनके लिए शारीरिक स्वस्थता जांच कराना अपेक्षित है, उन्हें ऐसी जांच करवाने से पूर्व एक चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा कि वह ऐसी जांच करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य हैं।

(ख) उपरोक्त उपखंड(क) में वर्णित ऐसे प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को निम्न मानक के अनुसार शारीरिक परीक्षा में भाग लेना अपेक्षित होगा :

पुरूषों के लिए मानक			
12 मिनट की दौड़/ चलने की परीक्षा			
30 वर्ष तक	**40 वर्ष तक**	**45 वर्ष तक**	**50 वर्ष तक**
1800 मीटर	**1500 मीटर**	**1200 मीटर**	**800 मीटर**

महिलाओं के लिए मानक			
8 मिनट की दौड़/ चलने की परीक्षा			
30 वर्ष तक	**40 वर्ष तक**	**45 वर्ष तक**	**50 वर्ष तक**
1000 मीटर	**800 मीटर**	**600 मीटर**	**400 मीटर**

---

(2) विज्ञान संकाय, कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, भाषा, भाषा-विज्ञान और भारत अध्ययन संकाय और लखनऊ और बड़गाम (जम्मू एवं कश्मीर) स्थित सैटेलाइट कैम्पस।

प्रोफेसर : अंग्रेज़ी, अरबी, महिला शिक्षा, राजनीति विज्ञान, इतिहास, रसायन विज्ञान, दूरस्थ शिक्षा।

क. (i) प्रतिष्ठित विद्वान जिसे संबंधित/ संबद्ध/ संगत विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो तथा प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ-साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम दस वर्षों का प्रकाशन अनुभव एवं परिशिष्ट-II, तालिका दो में दिए गए मानदंडों के अनुसार कुल 120 शोध प्राप्तांक अर्जित किए हों।

(ii) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर/ प्रोफेसर स्तर पर न्यूनतम दस वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और/ अथवा विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डाक्टोरल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो।

अथवा

ख. उपर्युक्त- क/ उद्योग में शामिल नहीं किए गए किसी भी संस्थान से संगत/ संबद्ध/ अनुप्रयुक्त विधाओं में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त तथा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित उत्कृष्ट पेशेवर जिन्होंने संबंधित/ संबद्ध/ संगत विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, बशर्ते कि उसे दस वर्षों का अनुभव हो। .

ग. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

प्रोफेसर : कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी (बी.टेक/एम.टेक पाठ्यक्रम के लिए)

I. क. संबंधित क्षेत्र में पीएच.डी और संबंधित शाखा में स्नातक या निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या समकक्ष।

एवं

ख. शिक्षण / अनुसंधान / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर के समकक्ष पद पर रहें हों।

एवं

ग. एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर एससीआई जर्नल/ यू.जी.सी/ एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम छह (6) शोध प्रकाशनों और पदोन्नति की पात्रता की तिथि तक पर्यवेक्षक / सह-पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम दो (2) अभ्यर्थियों को पीएच.डी. निर्देशित किया गया हो।

या

एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर एससीआई जर्नल/ यू.जी.सी/ एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित सूचीबद्ध जर्नलों में पदोन्नति की पात्रता की तिथि तक कम से कम दस (10) शोध प्रकाशन ।

II. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

वांछित :

(क) नए पाठ्यक्रमों के प्रारूप सहित शैक्षिक नवाचार में योगदान; **(ख)** बड़े विन्यास में ई-शासन प्रणाली परियोजनाओं / सूचना प्रणाली को कार्यान्वित और अवधारण करने का अनुभव; **(ग)** विशाल डाटा विश्लेषण संबंधी/ सूचना प्रणाली/ आंकड़ा खनन/ क्लाउड कम्प्यूटिंग/ब्लॉक चेनिंग में अनुसंधान/ विकास का अनुभव; **(घ)** प्रौद्योगिकी मध्यस्थ शिक्षण ज्ञानार्जन प्रक्रिया और वातावरण की स्थापना में अनुभव। ; एवं **(ङ)** नई आईसीटी तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करने, लागू करने और सिखाने की क्षमता।

प्रोफेसर : वाणिज्य एवं व्यापार प्रबंधन

यू.जी.सी. विनियमों के अनुसार वाणिज्य के लिए :

क. (i) प्रतिष्ठित विद्वान जिसे संबंधित/ संबद्ध/ संगत विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो तथा प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ-साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम दस वर्षों का प्रकाशन अनुभव एवं परिशिष्ट-II, तालिका दो में दिए गए मानदंडों के अनुसार कुल 120 शोध प्राप्तांक अर्जित किए हों।

(ii) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर/ प्रोफेसर स्तर पर न्यूनतम दस वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और/ अथवा विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डाक्टोरल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो।

अथवा

ख. उपर्युक्त- क/ उद्योग में शामिल नहीं किए गए किसी भी संस्थान से संगत/ संबद्ध/ अनुप्रयुक्त विधाओं में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त तथा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित उत्कृष्ट पेशेवर जिन्होंने संबंधित/ संबद्ध/ संगत विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, बशर्ते कि उसे दस वर्षों का अनुभव हो। .

ग. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

एआईसीटीई विनियमों के अनुसार व्यापार प्रशासन के लिए :

क. संबंधित क्षेत्र में पीएच.डी और संबंधित शाखा में स्नातक या निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या समकक्ष।

एवं

ख. शिक्षण / अनुसंधान / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर के समकक्ष पद पर रहें हों।

एवं

ग. एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर एससीआई जर्नल/ यू.जी.सी/ एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम छह (6) शोध प्रकाशन और पदोन्नति की पात्रता की तिथि तक पर्यवेक्षक / सह-पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम दो (2) अभ्यर्थियों को पीएच.डी. निर्देशित किया गया हो।

या

एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर एससीआई जर्नल/ यू.जी.सी/ एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित सूचीबद्ध जर्नलों में पदोन्नति की पात्रता की तिथि तक कम से कम दस (10) शोध प्रकाशन ।

घ. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

नोट : वाणिज्य एवं व्यापार प्रशासन के लिए समान कार्यभार होगा। चयनित अभ्यर्थियों को दोनों ही पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में उस स्ट्रीम की ओर संकेत करना होगा जो कि सुविचारित हो।

एसोसिएट प्रोफेसर : जनसंचार एवं पत्रकारिता, सामाजिक कार्य, अंग्रेज़ी, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, लोक प्रशासन, उर्दू, अरबी, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास एवं इतिहास (दूरस्थ शिक्षा);

(i) संबंधित/ संबद्ध/ संगत विधाओं में पीएच.डी की उपाधि के साथ बेहतरीन शैक्षणिक रिकार्ड।

(ii) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां, प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

(iii) किसी भी शैक्षणिक/ अनुसंधान पद पर शिक्षण और/ अथवा अनुसंधान में न्यूनतम आठ वर्षों का अनुभव जो किसी

विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/ उद्योग में सहायक प्रोफेसर के समान हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम सात प्रकाशनों का अनुभव और परिशिष्ट II, तालिका 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार अनुसंधान में कुल पचहत्तर (75) अंकों के अनुसंधान प्राप्तांक ।

(vi) विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

एसोसिएट प्रोफेसर : सूचना प्रौद्योगिकी(बी.टेक/एम.टेक/एमसीए पाठ्यक्रमों के लिए)

I. क. संबंधित क्षेत्र में पीएच.डी और संबंधित शाखा में स्नातक या निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या समकक्ष।

एवं

ख. एससीआई जर्नल/ यू.जी.सी/ एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम कुल छह (6) शोध प्रकाशन।

एवं

ग. शिक्षण / अनुसंधान / उद्योग में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का पीएच.डी. पश्च अनुभव।

II. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

एसोसिएट प्रोफेसर : वाणिज्य एवं व्यापार प्रबंधन;

(वाणिज्य एवं व्यापार प्रबंधन और दूरस्थ शिक्षा निदेशालय)

<u>यू.जी.सी. विनियमों के अनुसार वाणिज्य के लिए</u> :

(i) संबंधित/ संबद्ध/ संगत विधाओं में पीएच.डी की उपाधि के साथ बेहतरीन शैक्षणिक रिकार्ड।

(ii) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां, प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

(iii) किसी भी शैक्षणिक/ अनुसंधान पद पर शिक्षण और/ अथवा अनुसंधान में न्यूनतम आठ वर्षों का अनुभव जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/ उद्योग में सहायक प्रोफेसर के समान हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम सात प्रकाशनों का अनुभव और परिशिष्ट II, तालिका 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार अनुसंधान में कुल पचहत्तर (75) अंकों के अनुसंधान प्राप्तांक।

(vi) विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

<u>एआईसीटीई विनियमों के अनुसार व्यापार प्रबंधन के लिए</u> :

I. क. संबंधित क्षेत्र में पीएच.डी और संबंधित शाखा में स्नातक या निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या समकक्ष।

एवं

ख. एससीआई जर्नल/ यू.जी.सी/ एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम कुल छह (6) शोध प्रकाशन।

एवं

ग. शिक्षण / अनुसंधान / उद्योग में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का पीएच.डी. पश्च अनुभव।

II. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

नोट : वाणिज्य एवं व्यापार प्रशासन के लिए समान कार्यभार होगा। चयनित अभ्यर्थियों को दोनों ही पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में उस स्ट्रीम की ओर संकेत करना होगा जो कि सुविचारित हो।

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत एक पद : पाठ्यक्रम विकास , स्वतः ज्ञानार्जन सामग्री(डिजिटल और प्रिंट) तैयार करने में अनुभव रखने वाले और मुक्त एवं दूरस्थ माध्यमों के अंतर्गत पाठ्यक्रम से परिचित कराने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सहायक प्रोफेसर : अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, गणित, इस्लाम अध्ययन, कश्मीरी विधाओं में:

क. (i) किसी भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

(ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा(एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल / पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसे भी मामला हो, के अनुसार पीएच.डी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें एनईटी / एसएलईटी / एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी:

(iii) बशर्ते, कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/ उपविधियों/ विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएच.डी अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी :-

क) अभ्यर्थी को पीएच.डी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो ;

ख) पीएच.डी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

ग) पीएच.डी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हों जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

ड.) अभ्यर्थी नें यू.जी.सी / आईसीएसएसआर / सीएसआईआर अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों / विचार गोष्ठियों में अपने पीएच.डी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों।

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

नोट: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा जैसे एसएलईटी/ एसईटी आदि आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. (i) क्वैक्वेरेली सायमंड (क्यूएस) (ii) दि टाइम्स हॉयर एजूकेशन (टीएचई) अथवा (iii) शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यूयू) द्वारा संपूर्ण विश्व में विश्वविद्यालय रैंकिग में विश्व के शीर्षतम 500 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान (किसी भी समय) से पीएच.डी की उपाधि निम्नलिखित में से किसी एक से प्राप्त की गई हो।

नोट : यू.जी.सी. विनियम, 2018 में विश्वविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3क) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा।

ग. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

सहायक प्रोफेसर : वाणिज्य एवं व्यापार प्रबंधन;

<u>यू.जी.सी. विनियम के अनुसार वाणिज्य के लिए :</u>

क. (i) किसी भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

(ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा(एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल / पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसे भी मामला हो, के अनुसार पीएच.डी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें एनईटी / एसएलईटी / एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी:

(iii) बशर्ते, कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/ उपविधियों/ विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएच.डी अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी :-

क) अभ्यर्थी को पीएच.डी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो ;

ख) पीएच.डी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

ग) पीएच.डी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हों जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

ड.) अभ्यर्थी नें यू.जी.सी / आईसीएसएसआर / सीएसआईआर अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों / विचार गोष्ठियों में अपने पीएच.डी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों।

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

नोट : ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा जैसे एसएलईटी/ एसईटी आदि आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. (i) क्वैक्वेरेली सायमंड (क्यूएस) (ii) दि टाइम्स हॉयर एजूकेशन (टीएचई) अथवा (iii) शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यूयू) द्वारा संपूर्ण विश्व में विश्वविद्यालय रैंकिग में विश्व के शीर्षतम 500 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान (किसी भी समय) से पीएच.डी की उपाधि निम्नलिखित में से किसी एक से प्राप्त की गई हो।

नोट : यू.जी.सी. विनियम, 2018 में विश्वविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3क) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा।

ग. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

<u>एआईसीटीई विनियमों के अनुसार व्यापार प्रशासन :</u>

क. चयन के समय संबंधित विधा में स्नातक या निष्णात स्तर दोनों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी।

ख. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

नोट : वाणिज्य एवं व्यापार प्रशासन के लिए समान कार्यभार होगा। चयनित अभ्यर्थियों को दोनों ही पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में उस स्ट्रीम की ओर संकेत करना होगा जो कि सुविचारित हो।

---

(3) पॉलिटेकनीक (हैदराबाद, बेंगलुरू, दरभंगा, कडपा और कटक में स्थित)

विभागाध्यक्ष :

सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग एवं अपैरल प्रौद्योगिकी की विधा में:

क. संबंधित क्षेत्र में पीएच.डी और स्नातक या निष्णात स्तर की संबंधित विधा में प्रथम श्रेणी; शिक्षण / अनुसंधान / उद्योग में न्यूनतम 12 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का पीएच.डी. पश्च अनुभव जो कि प्रवक्ता(चयन ग्रेड-I) के स्तर पर न्यूनतम हो ।

या

शिक्षण / अनुसंधान / उद्योग में न्यूनतम 15 वर्षों के अनुभव के साथ स्नातक एवं निष्णात डिग्री, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष प्रवक्ता (लेक्चरर) (चयन ग्रेड - II) के स्तर पर हो।

ख. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

प्रवक्ता (लेक्चरर) : सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अपैरल प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग की विधा में:

क. <u>प्रवक्ता (लेक्चरर) (स्तर - 9ए, प्रवेश वेतन 56,100/-):</u>

संबंधित विधा में बी.ई. / बी.टेक / बी.एस के साथ प्रथम श्रेणी या समकक्ष।

<u>प्रवक्ता (लेक्चरर) (स्तर - 10, प्रवेश वेतन 57,700/-)</u>

चयन के समय संबंधित विधा में स्नातक या निष्णात स्तर दोनों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी।

ख. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

नोट : अभ्यर्थी का स्थान एआईसीटीई विनियम, 2019 के पैरा 4.2(सी) के अनुसार या तो स्तर 9ए या 10 में होगा।

---

(4) उर्दू माध्यम शिक्षकों के लिए व्यवसायिक विकास केन्द्र

प्रोफेसर :

क. (i) प्रतिष्ठित विद्वान जिसे किसी भी विषय में पीएच.डी की उपाधि और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो तथा प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुड़े हों, साथ ही न्यूनतम दस पुस्तकों और/या अनुसंधान/ नीतिगत पत्रों का प्रकाशन।

(ii) किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में न्यूनतम दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/उद्योगों में अनुसंधान का अनुभव हो और डॉक्टोरल अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने का अनुभव हो।

(iii) नए पाठ्यक्रमों के प्रारूप सहित शैक्षिक नवाचार में योगदान, और प्रौद्योगिकी - मध्यस्थ शिक्षण ज्ञानार्जन प्रक्रिया ।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधी विनियमों में अकादमिक निष्पादन संकेतक(एपीआई) आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन पद्धति(पीबीएएस) में न्यूनतम प्राप्तांक जैसे कि निर्धारित किए गए है।

या

ख. संगत क्षेत्र में प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त उत्कृष्ट पेशेवर जिन्होंने प्रत्यायन द्वारा अभिपुष्टि किए जाने वाले विषय में ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

ग. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के परिच्छेद - 6 के अनुसार उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।

<u>सीपीडीयूएमटी, प्रोफेसर के उत्तरदायी कार्य</u> :

क. विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण संस्थानों में से एक उर्दू माध्यम शिक्षकों के लिए व्यवसायिक विकास केन्द्र (सीपीडीयूएमटी) के प्रमुख के रूप में कार्य करना।

ख. उर्दू शिक्षण के विभिन्न सेवारत शिक्षकों, उर्दू माध्यम के स्कूलों और मदरसों के शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण की कला को उपार्जित और सुधारने के लिए और उन्हें अध्यापन में नवीनतम विकास के साथ-साथ बनाए रखने के लिए।

ग. नए अनुसंधानों और तकनीकों के अनुसार शिक्षकों के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए संबंधित विषयों के शिक्षकों के लिए विभिन्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना।

घ. उर्दू माध्यम के स्कूलों में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण, कंप्यूटर, इंटरनेट, आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना।

ङ. उर्दू माध्यम में शिक्षण की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपसी वार्ता के लिए उर्दू माध्यम शिक्षण समुदाय, अकादमीशियन, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करना।

च. केंद्र के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और अन्य सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के उर्दू शिक्षाविदों के साथ संबंध स्थापित करना।

छ. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे जाने वाले कोई अन्य संबद्ध उत्तरादायित्व।

सामान्य सूचना

1. चयनित अभ्यर्थियों को सेवा की अनिवर्यता और आवश्यकताओं के आधार पर मुख्य कैम्पस, हैदराबाद या देश में विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में तैनात किया जा सकता है।

2. यू.जी.सी. (www.ugc.ac.in) / एनसीटीई / एआईसीटीई द्वारा निर्धारित अर्हताएँ जो कि समय-समय पर लागू की जा सकती हैं। उसी में संशोधन / परिवर्तन / सुधार लागू होंगे।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 7.3.2019 में निर्दिष्ट केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (नवोन्नत वर्ग) के लिए आरक्षण होगा। इस विज्ञापन में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर संवर्ग हेतु अनारक्षित निर्धारित पदों के लिए एमएचआरडी / यूजीसी द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण के अधीन होंगे। विश्वविद्यालय वेबसाइट पर शुद्धिपत्र जारी करेगा।

4. शैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/निशक्त (शारीरिक एवं नेत्र से निशक्त)/अन्य पिछडा वर्ग(नवोन्नत वर्ग) से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) और रियायत अंक प्रक्रिया सहित, यदि कोई हो तो, के आधार पर अर्हता अंक में उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमेय है।

5. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के अनुच्छेद - 6 के अनुसार, "विश्वविद्यालय की धारा 4 के अनुसार, इस विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम उर्दू है। अतः एक सामान्य नीति के रूप में, यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी को ("उर्दू भाषा में पढ़ने, लिखने, समझने और पढ़ाने के अपने ज्ञान को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए"), उर्दू माध्यम में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, जिसका चयन साक्षात्कार के समय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।यह शर्त नित्य प्रत्येक विज्ञापन में, योग्यता के अंतर्गत बताई गई है"।

6. उन पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत अंक से कम करके 50 प्रतिशत अंक तक) की छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व निष्णात उपाधि प्राप्त की है।

7. एक संगत ग्रेड जिसे निष्णात स्तर पर 55 प्रतिशत के समरूप माना जाता है, जहां कहीं भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, को भी वैध माना जाएगा।

8. निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव न्यूनतम हैं तथा मात्र यह तथ्य कि अभ्यर्थी के पास वही है जो उसे साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए पात्र नहीं बनाता। विश्वविद्यालय योग्यता और निर्धारित न्यूनतम से अधिक अनुभव या किसी अन्य शर्त जो उपयुक्त हो, उसके आधार पर एक उचित संख्या में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विश्वविद्यालय आवेदनों की जांच और अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची प्रदान करने हेतु अनुवीक्षण समितियों का गठन कर सकता है। परीक्षा / साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र केवल संक्षिप्त-सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को भेजे जाएंगे और उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा जो संक्षिप्त-सूची में नहीं हैं।

9. आवेदकों को यूजीसी द्वारा परिशिष्ट II, तालिका -2 के अनुलग्नक-ए में निर्धारित अकादमिक / अनुसंधान स्कोर कार्ड (जहां भी लागू हो) भरना और आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा। प्रत्येक अकादमिक / अनुसंधान स्कोर कार्ड को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसके बिना अकादमिक / अनुसंधान स्कोर कार्ड पर कोई दावा नहीं किया जाएगा। चयनित सूची बनाने के लिए अकादमिक / अनुसंधान स्कोर कार्ड के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. (i) जिन अभ्यर्थियों को वर्ष 2009 के बाद पीएच.डी. प्रदान की गई है उन्हें इस आशय के साथ प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी कि विश्वविद्यालय ने यू.जी.सी. (एम.फिल/ पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई है।

(ii) पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने के संबंध में अंक-सूची संलग्न करें, यदि लागू हो।

11. विश्वविद्यालय को किसी भी योग्यता, अनुभव, आयु आदि के संबंध में छूट प्रदान करने का अधिकार है।

12. यदि उपयुक्त अभ्यर्थी विज्ञापित पद के लिए उपलब्ध नहीं हो, तो विश्वविद्यालय अभ्यर्थी को निम्न पद की पेशकश कर सकता है, जिन्होंने उच्च पद के लिए आवेदन किया हो ।

13. उपयुक्त व्यक्तियों के नाम पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय मुक्त है जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, परन्तु उनके विषय क्षेत्रों में विशेषज्ञों द्वारा सिफारिश की गई है।

14. रोजगार अधिसूचना और इस पुस्तिका में सूच्य रिक्तियों की संख्या अनिश्चित है। विश्वविद्यालय चयन के समय पदों की संख्या बढ़ाने / घटाने का अधिकार रखता है, यदि विज्ञापन और चयन समिति की बैठकों के बीच अधिक रिक्तियां विद्यमान होती हैं, तो उसके अनुसार नियुक्तियां कर सकती है।

15. चयनित प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों का पैनल, चयन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

16. अभ्यर्थी स्वयं के खर्च पर निर्धारित स्थान और समय पर साक्षात्कार में भाग लेंगे। हालाँकि, पीडब्ल्यूडी श्रेणियों से संबंधित बाह्य अभ्यर्थियों को केवल सबसे छोटे मार्ग द्वारा केवल स्वयं के लिए रेल किराए (शायिका श्रेणी) की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि कोई स्टेशन रेल से जुड़ा नहीं है, तो टिकट प्रस्तुत करने पर सबसे छोटे मार्ग से साधारण बस का किराया दिया जाना होगा। उपर्युक्त रियायतें उन पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए स्वीकार्य नहीं होंगी जो पहले से ही केंद्र / राज्य सरकार की सेवा में हैं / या विश्वविद्यालय / स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक उपक्रमों / स्थानीय सरकार / पंचायतों के अंतर्गत कोई अन्य रोजगार रखते हैं।

17. किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करना ऐसे अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करेगा।

18. चयन समिति साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की अपनी पद्धति तय कर सकती है। विश्वविद्यालय चयन की एक विधि के रूप में संगोष्ठी या वार्तालाप का उपयोग कर सकती है।

19. सेवारत अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन या साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करना होगा ऐसा न करने पर उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

20. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आवेदन गत पांच वर्षों के वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के साथ नियोक्ता द्वारा प्रेषित किया जा सकता है तथा सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र यथावत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

21. प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन जमा करना होगा। उसी प्रकार, विभिन्न श्रेणियों में एक ही पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र अलग से जमा करना होगा।

22. सभी शैक्षणिक पदों के लिए आयु सीमा 65 वर्ष है। राज्य के विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त इच्छुक अभ्यर्थियों को भी पुन: रोजगार के आधार पर विचार किया जाएगा और उनके वेतन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा।

23. भरे गए आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात **08.07.2019** के अनुसार योग्यता, अनुभव इत्यादि की गणना की जाएगी, सभी महत्वपूर्ण प्रमाणपत्रों की स्पष्ट छायाप्रतियों को आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों में किसी भी दस्तावेज / सूचना को सम्मिलित करने के अनुरोध पर विचार और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

24. किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

25. साक्षात्कार / चयन से संबंधित कोई भी अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

26. विश्वविद्यालय के पास किसी भी विज्ञापित रिक्त पद को नहीं भरने का अधिकार सुरक्षित है।

27. किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की डाक की देरी के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

28. भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2004 से आरम्भ की गई नई पेंशन योजना लागू होगी। हालाँकि, यदि चयनित उम्मीदवारों ने केंद्र / राज्य सरकार की सेवाओं में या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय / राज्य स्वायत्त निकाय की सेवाओं में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले हो, जैसा कि मामला हो, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार कार्यालय ज्ञापन/सं.28-10 / 84-पेंशन यूनिट दिनांक 29 अगस्त, 1984 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्यालय ज्ञापन सं.28- (10) /84-पी एवं पीडब्ल्यू/वाल्यूम.II दिनांक 7 फरवरी 1986 को समय-समय पर संशोधित किया गया और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना द्वारा शासित या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के समान पुरानी पेंशन योजना, वे पुरानी पेंशन योजना द्वारा शासित होते रहेंगें। वे इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 (2) के अंतर्गत अपनी पिछली सेवाओं की गिनती के लिए पात्र होंगे या कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29 अगस्त, 1984 को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 फरवरी 1986 के साथ पढ़े तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को उनकी पिछली सेवाओं के लिए प्रो-रिटा रिटायरमेंट लाभों के भुगतान और पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के संदर्भ में वर्तमान रोजगार से तकनीकी इस्तीफा प्रस्तुत करने के अधीन है कार्यालय ज्ञापन सं.28 / 30/2004-पी और पीडब्ल्यू (बी) दिनांक 26 जुलाई, 2005 को संशोधित कार्यालय ज्ञापन के समरूप सं. दिनांक 28 अक्टूबर,

2009 को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई नियुक्ति को लेने के लिए जहां केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत पेंशन योजना 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए पहले से विद्यमान है।

29. विश्वविद्यालय के विरूद्ध किसी भी विवाद / मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की स्थिति में, क्षेत्राधिकार हैदराबाद के न्यायालय के अंतर्गत रहेगा, जो विश्वविद्यालय का मुख्यालय है।

आवेदन कैसे करे :

i) आवेदन पत्र केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट- www.manuu.ac.in पर उपलब्ध है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ **पंजीकरण शुल्क ₹.500 / -** के साथ **मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद** के पक्ष में मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से**, हैदराबाद में देय** किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में**,** जमा करे सकते है। भरे हुए आवेदन दिनांक **08.07.2019 को या उससे पहले** स्पीड/ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस पते पर पहुंच जाने चाहिए :

उप कुलसचिव (स्थापना एवं भर्ती-I),
कमरा सं.110 (प्रथम तल) प्रशासनिक ब्लॉक,
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी,
उर्दू यूनिवर्सिटी रोड,
गच्चीबौली,
हैदराबाद - 500 032 (तेलंगाना)

ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी और महिला अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

iii) जो लोग डाक के माध्यम से आवेदन जमा कर रहे हैं, उन्हें ₹. 5 / - के डाक टिकट के साथ एक अपना पता लिखा लिफाफा संलग्न करना होगा। आवेदक को मांग ड्राफ्ट के पीछे पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया है, अपना नाम और पता लिखाना होगा(चेक / मनी ऑर्डर / पोस्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे)। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।अंतिम तिथि के पश्चात और अधूरी जानकारी या बिना अपेक्षित शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। किसी भी स्तर पर डाक देरी के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

नोट : यदि आवेदक सेवा में है और मूल आवेदन पर संबंधित नियोक्ता का अनुमोदन प्राप्त कर विश्वविद्यालय को भेजने में देरी होने की संभावना है, तो आवेदक मूल मांग ड्राफ्ट और सभी अनुलग्नकों के साथ आवेदन की **अग्रिम प्रतिलिपि** प्रस्तुत कर सकता है। मांग ड्राफ्ट की एक प्रतिलिपि मूल आवेदन के साथ संलग्न कर उचित माध्यम / नियोक्ता के माध्यम से भेजी जा सकती है। यदि रोजगार अधिसूचना में उल्लिखित अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय द्वारा उचित माध्यम से मूल आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थी / आवेदक को यदि उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है उसे अपने नियोक्ता से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाणपत्र ' विश्वविद्यालय में साक्षात्कार के समय जमा करना होगा ।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि संक्षिप्त सूची में साक्षात्कार के लिए नाम, परिणाम, शुद्धिपत्र, त्रुटियों, चूक आदि के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।

कुलसचिव

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 28.05.2019